रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 316] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 1975/अग्रहायण 3, 1897

No. 316] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 1975/AGRAHAYANA 3, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 24th November 1975

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Cellulose Acetate Flakes, falling under Item No. 82(3) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India for the manufacture of Cellulose Acetate Moulding Granules, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 70 per cent *ad valorem*:

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of Cellulose Acetate Flakes as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 99/F. No. 355/28/74-Cus.I]

D. C. MANDAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 563(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 82(3) के अधीन आने वाले सेल्यूलोज एसीटेट पत्रक जब उसका सेल्यूलोज एसीटेट मोल्डिंग ग्रेनुएल के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उस पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्यानुसार सत्तर प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु आयातकर्ता ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि का जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर निहित करे एक बंधपत्र निर्धारित करके सेल्यूलोज ऐसीटेट पत्रक की ऐसी मात्रा की बाबत जिसके संबंध में सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के समाधान प्रद रूप में यह साबित नहीं कर दिया जाता कि उसका उपयोग पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किया गया है, मांग किए जाने पर अपने आप को ऐसी राशि का संदाय करने के लिए आबद्ध करता है जो ऐसी मात्रा पर उस दशा में, जबकि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी जाती, उदग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले से ही संदत्त शुल्क के अंतर के बराबर होगी ।

[सं० 99/फा० सं० 355/28/74-सी० शु० 1]

डी० सी० मण्डल, अवर सचिव ।

(आर्थिक कार्य विभाग)

"शुद्धिपत्र

भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 में सा०का०नि० 533(अ) तथा 534 (अ) के रूप में क्रमश: प्रकाशित वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाएं सं० एफ० 4(11)-डब्ल्यू एण्ड एम/75, दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 में निम्नलिखित शुद्धियां की जाएं :—

अधिसूचना सं० सा०का०नि०	पृष्ठ सं०	पंक्ति सं०	अपेक्षित शुद्धियां
(1) 533(अ)/534(अ)	2179	3	"बाइकुला" के स्थान पर
	2182	16, 23 तथा 33	"भायखला" पढ़िये ।
	2183	2	
(2) 534(अ)	2182	24	"5" के स्थान पर "5 3/4 प्रतिशत" पढ़िये ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1975